प्रधानमंत्री मोदी का जीवन समर्पण व दृढ़ संकल्प का प्रतीक- भजनलाल

बच्चों की सजाई रंगोली पर ''आशीर्वाद के दिए'' जलाकर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की

जयपुर, 17 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर युवाओं के साथ संवाद किया। ''विकसित भारत जन सेवा अभियान'' के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी के 'राष्ट्र प्रथम' और 'विकसित भारत' के संकल्प से प्रेरणा लेकर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आ ान

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत जन सेवा अभियान के तहत युवाओं के साथ संवाद किया और उन्हें कार्य करने तथा देश को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर 'आशीर्वाद के दीये' जलाए।

किया। उन्होंने कहा कि युवा पूरी क्षमता और लगन के साथ कार्य करें तो उनको सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए, उनके जीवन को समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 25 वर्षों की निरंतर राष्ट्र एवं सार्वजनिक सेवा का नया कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री निवास में युवाओं के साथ 'आशीर्वाद के दीये' जलाए। बच्चों द्वारा सजाई गई रंगोली पर सपत्नीक दीप प्रज्ज्वलित कर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। दीपों की रोशनी से मुख्यमंत्री निवास जगमगा उठा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बुनियादी सुविधाओं और गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने, आमजन के आर्थिक सशक्तिकरण तथा विकसित गांव और शहर बनाने के लिए प्रभावी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी युवाओं के लिए हर क्षेत्र में लगातार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से देशभर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जा रहा है। इसी के तहत, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना को लेकर 'आशीर्वाद के दीये' प्रज्ज्वलित किए गए। उन्होंने कहा कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रही है।

संवाद कार्यक्रम में युवाओं ने मुख्यमंत्री के साथ रोजगार, शैक्षिक एवं तकनीकी ज्ञान, कौशल विकास, युवा कल्याण और युवाओं के सर्वांगीण विकास से जुड़े विषयों पर अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांग पेंशन, पालनहार योजना और राजीविका के लाभार्थियों ने गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार का आभार जताया। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव खेल एवं युवा मामले, प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया सहित, बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे।

'कंपनी खराब बैटरी की कीमत व हर्जाना दे'

जयपुर, 17 सितंबर। जिला उपभोक्ता आयोग क्रम- 4 ने ''हाइपर सोलर सिस्टम'' और ''लुमिनियस पावर टेक्नोलॉजी'' को निर्देश दिए हैं कि परिवादी को दो खराब बैटरियों के 12 हजार 572 रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाए। इसके साथ ही, आयोग ने सोलर कंपनी को मानसिक संताप के दस हजार रुपए और बैटरी कंपनी को बीस हजार रुपए अलग से अदा करने को कहा है। आयोग अध्यक्ष अशोक

- जिला उपभोक्ता आयोग ने हाइपर सोलर सिस्टम और लूमिनस पावर टैक्नॉलजी को निर्देश दिए।

कुमार शर्मा और सदस्य पूजा मित्तल व नीलम शर्मा ने ये आदेश कैप्टन एसके सिंह व अन्य की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि सोलर कंपनी ने बैटरी के कारण सिस्टम में आई खराबी को दूर नहीं कर सेवादोष किया है। वहीं बैटरी कंपनी की यह जिम्मेदारी थी कि वह वारंटी अवधि में खराब बैटरियों को निशुल्क बदलकर देती, जबकि उसकी ओर से ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में दोनों पर हर्जाना लगाया जाना उचित है।

परिवाद में अधिवक्ता परीक्षित सिंह ने आयोग को बताया की परिवादी ने अपने गेस्ट हाउस में सोलर प्लांट लगाने के लिए हाइपर सोलर सिस्टम कपनी से संपर्क कर साल 2015 में 4 लूमिनियस बैटरी व अन्य उपकरण खरीदे थे, जिनकी कुल 3.20 लाख रुपए की कीमत अदा की गई। बैटरियों के साथ परिवादी को पांच साल की वारंटी अगस्त, 2020 तक की दी गई। इस बीच जून, 2019 में सिस्टम में खराबी आने से प्लांट से विद्युत आपूर्ति अचानक बंद हो गई।

चुनाव आयोग ने ''तृणमूल'' नाम व चुनाव चिन्ह पर अंतरिम रोक लगाई

तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुट उपचुनाव में पार्टी के नाम व चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेंगे

नई दिल्ली, 17 सितंबर। चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) में नेतृत्व को लेकर चल रहे विवाद के बीच अंतरिम आदेश जारी किया है। आयोग ने आगामी उपचुनावों में दोनों गुटों के 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फूल-घास' चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

आयोग ने दोनों गुटों को 18 सितंबर को सुबह 11 बजे तक तीन-तीन वैकल्पिक नाम और तीन-तीन वैकल्पिक चुनाव चिन्ह बताने का निर्देश दिया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी एवं सुखबीर सिंह संधू की पीठ ने आज यह आदेश दिया। आयोग के अनुसार, पार्टी में इस समय दो प्रतिद्वंद्वी गुट हैं और दोनों खुद को असली एआईटीसी बता रहे हैं।

ममता बनर्जी के विरोधी गुट ने उनके गुट के खिलाफ अलीपुर सिविल

- चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को 18 सितम्बर को प्रातः 11 बजे तक तीन-तीन वैकल्पिक नाम तथा तीन-तीन वैकल्पिक चुनाव चिन्ह बनाने का निर्देश दिया।

कोर्ट से 7 जुलाई, 6 अगस्त और 16 सितंबर को निषेधाज्ञा भी हासिल की है।

चुनाव आयोग ने इस विवाद को लेकर 12 और 17 सितंबर को दोनों पक्षों की बात सुनी। इस बीच पांच विधानसभा और लोकसभा उपचुनावों में दोनों गुटों ने अलग-अलग फॉर्म-बी के जरिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें नंदीग्राम सीट भी शामिल है।

आयोग ने कहा कि चुनाव चिन्ह आदेश, 1968 के पैरा-15 के तहत, अंतिम फैसला लेने में समय लगेगा। इसलिए फिलहाल अंतरिम व्यवस्था की गई है।

आयोग के आदेश के मुताबिक, कोई भी गुट अकेले 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई भी गुट आरक्षित 'फूल और घास' चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेगा। दोनों गुटों को मूल पार्टी के नाम से जुड़े अलग-अलग नाम चुनने होंगे। दोनों गुटों को चुनाव आयोग की मुक्त चुनाव चिन्हों की सूची में से अलग-अलग चिन्ह चुनने होंगे।

'एसटी आरक्षण में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनका उद्देश्य ऐसे आरक्षण को हटाना है, जो आरक्षण वाले व्यक्तियों के बीच भेदभाव करता हो। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने आरक्षित वर्गों में जातियों को शामिल करते समय उनके वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आंकडे एकत्र नहीं किए।

एसटी वर्ग में शामिल मीणा समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से काफी आगे बढ़ चुका है और एसटी आरक्षण का करीब 99 फीसदी लाभ यह जाति उठा रही है। दूसरी ओर, आजादी के इतने सालों बाद भी भील समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।

याचिका में बताया गया कि नेशनल एसटी आयोग ने गत 25 फरवरी को अनुच्छेद 338ए के तहत, राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एसटी श्रेणी के उप वर्गीकरण और पंजाब राज्य बनाम देवेन्द्र सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए निर्णय को लागू करने को कहा। इसके बावजूद एसटी श्रेणी का उप वर्गीकरण नहीं किया गया है।

उधमपुर में आतंक विरोधी ऑपरेशन में दो आतंकवादी मारे गये

उधमपुर, 17 सितंबर। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के ब्रट्टल इलाके में गुरुवार को खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक संयुक्त ऑपरेशन में दो आतंकवादी मारे गए।

सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने कहा कि ब्रट्टल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की पक्की जानकारी मिलने के बाद 16 और 17 सितंबर की दरमियानी रात ऑपरेशन ''सोहन नाम'' का यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। खराब मौसम, मुश्किल इलाके और कम विज़िबिलिटी के बावजूद सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन चलाया, जिसमें दो आतंकवादी मारे गए।

यू.एस. फैडरल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमेरिका में ज्यादा ब्याज दर होने से निवेशक उभरते बाजारों के कर्ज में भी ज्यादा रिटर्न की मांग कर सकते हैं। भारतीय कंपनियों, खासकर विदेशों से कर्ज लेने वाली कंपनियों के लिए, इसका मतलब पूंजी जुटाने की लागत बढ़ना हो सकता है।

इसी तरह शेयर बाजारों में भी अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से वैश्विक स्तर पर जोखिम-मुक्त (रिस्क फ्री) निवेश से मिलने वाला रिटर्न बढ़ जाता है और उभरते बाजारों के एसैट्स तुलनात्मक रूप से कम आकर्षक हो सकते हैं। भारत में मजबूत घरेलू मांग और घरेलू संस्थागत निवेशकों का बढ़ता आधार कुछ सुरक्षा तो देता है, लेकिन ग्लोबल लिक्विडिटी में कमी से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और मार्केट वैल्युएशन पर असर पड़ सकता है।

तेल की वजह से फैड का फैसला भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दुनिया के प्रमुख कच्चे तेल आयातक देशों में से एक होने के कारण भारत पर तेल की ऊंची कीमतों और कमज़ोर रुपये का मिला-जुला असर पड़ सकता है। अगर डॉलर में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है और साथ ही रुपया भी कमज़ोर होता है, तो देश का इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा और महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है।

अमेरिका में इसका एक व्यापक राजनीतिक और संस्थागत पहलू भी है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप लगातार कम ब्याज दरों की वकालत करते रहे हैं। इसलिए वार्श के इस फैसले से फैडरल रिज़र्व की स्वतंत्रता पर और ज्यादा सवाल उठ सकते हैं। कीमतों में स्थिरता पर उनका जोर यह संकेत देता है कि केन्द्रीय बैंक राजनीतिक दबाव के बजाय महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर मौद्रिक नीति तय करना चाहता है।

भारत के लिए बड़ा संदेश यह है कि लगातार गिरती अमेरिकी ब्याज दरों और वैश्विक स्तर पर आसानी से उपलब्ध पूंजी के दौर को अब निश्चित नहीं माना जा सकता। भारतीय नीति-निर्माताओं और कारोबारियों को मजबूत डॉलर, करैंसी में ज्यादा उतार-चढ़ाव और वैश्विक स्तर पर पूंजी की बढ़ी हुई लागत वाले माहौल में काम करना पड़ सकता है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या फैड की हालिया बढ़ोतरी एक सीमित बदलाव तक ही रहेगी या एक व्यापक ''टाइटनिंग साइकिल'' (ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला) में बदल जाएगी, क्योंकि इसी से रुपये, पूंजी के प्रवाह, भारत में कर्ज की लागत और रिज़र्व बैंक के पॉलिसी विकल्पों पर पड़ने वाले असर की तीव्रता तय होगी।

अमेरिका के हाउस ऑफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहले सरकार ने खुद समाज के मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और सबसे कमजोर वर्गों के बीच खाना पकाने वाली गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया था और सब्सिडी वाली गैस की आपूर्ति की व्यवस्था की थी।

अब अगर खाना पकाने वाली गैस की सप्लाई लाइन अचानक प्रभावित होती है, तो इसका केन्द्र की भाजपा सरकार पर खराब असर पड़ेगा। यह एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। इसलिए देश के लिए रुस से ईंधन आयात की मौजूदा व्यवस्था को तुरंत छोड़कर दूसरे विकल्प तलाशना आसान नहीं होगा।

इसके अलावा, कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें भी हैं। भारतीय रिफाइनर अचानक कच्चे तेल के मौजूद मिक्स को छोड़कर, दूसरी तरह के कच्चे तेल का इस्तेमाल शुरु नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार के कच्चे तेल का इस्तेमाल करने के लिए रिफाइनरियों को फिर से सैट करना होगा।

लेकिन अब, अगर अमेरिका अपनी धमकी के अनुसार शुल्क लगाता है, भले ही वह 100 प्रतिशत न हो, तो भारत को अपने निर्यात का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ सकता है और इससे प्रभावित उद्योगों पर भी गंभीर असर पडेगा। इसका एक विकल्प यह हो सकता है कि रूस के बजाय दूसरे स्रोतों से तेल और गैस की सप्लाई तलाशी जाए, क्योंकि रुस ईंधन की कुल सप्लाई में अहम भूमिका निभा रहा है।

अमेरिका के निशाने पर दूसरा देश चीन है। हालांकि, रूसी ईंधन आयात करने वाले देशों को दंडित करने के अमेरिकी कदम के खिलाफ चीन ने बेहद कड़ा और टकराव वाला रुख अपनाया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका का यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और वह चुनिंदा देशों पर इस तरह का भेदभावपूर्ण टैरिफ नहीं लगा सकता।

चीन का यह कड़ा रुख ऐसे समय में आया है, जब चीन से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट भारत की तुलना में कहीं अधिक है। दंडात्मक टैरिफ लगाने से अमेरिका को होने वाले चीनी निर्यात पर असर कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। इससे चीन में औद्योगिक क्षेत्र को बहुत व्यापक नुकसान हो सकता है।

इसके बावजूद चीन अमेरिका के खिलाफ ऐसा आक्रामक रुख अपना सकता है, क्योंकि उसकी अर्थिक ताकत बहुत ज्यादा है और अमेरिकी उद्योगों के कुछ हिस्सों पर उसका मजबूत नियंत्रण है। चीन पहले भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका है, जब डॉनल्ड ट्रंप ने चीन को टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और दुनिया के सबसे शक्तिशाली अमेरिकी राष्ट्रपति को शर्मिंदा होकर पीछे हटना पड़ा था।

इससे पहले एक मौके पर चीन ने अमेरिका को 'दुर्लभ खनिजों' की आपूर्ति पूरी तरह रोक देने की धमकी दी थी। इन खनिजों की आपूर्ति लगभग पूरी तरह चीन ही करता है और कुछ अन्य देशों से बहुत कम मात्रा में ही इनकी आपूर्ति होती है।

ये खनिज कई बेहद महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन के लिए जरूरी हैं, जिनमें विभिन्न रक्षा उपकरण भी शामिल हैं। इसी प्रकार, अमेरिका का ऑटोमोबाइल उद्योग, जो सबसे अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों में से एक है, भी इन दुर्लभ खनिजों की चीनी आपूर्ति पर निर्भर है।

ऐसी स्थिति में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति चीन को दंडित करने के बजाय, भारत और कुछ अन्य देशों पर भारी शुल्क लगाने का फैसला करते हैं, तो भारत के पास इसका विरोध करने और मजबूती से मुकाबला करने के अलावा बहुत कम विकल्प होंगे। यह भारत के लिए सिर्फ प्रतिष्ठा की लड़ाई और अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रदर्शन मात्र ही होगा।

तत्कालीन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मामला रानीवाड़ा क्षेत्र की रहने वाली मोहनदेवी का है। मोहनदेवी ने अपनी बेटियों, विमला और संगीता के विवाह के लिए राजस्थान श्रम विभाग की योजना के तहत सहायता राशि के लिए आवेदन किया था। योजना के तहत दोनों बेटियों के विवाह के लिए 55-55 हजार रुपये, यानी कुल 1.10 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत/देय बताई गई थी। आयोग ने 2 सितंबर 2021 को परिवाद स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों को राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। आदेश की पालना नहीं होने पर परिवादी की ओर से आयोग में कार्रवाई के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। आयोग ने आदेश की पालना नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन जालोर कलेक्टर एवं वर्तमान श्रम आयुक्त पूजा पार्थ के खिलाफ वारंट जारी किया। लेकिन पुलिस द्वारा श्रम आयुक्त पार्थ को आयोग के गिरफ्तारी वांरट की आज तक पालना नही करने पर जालोर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष धनश्याम यादव ने जिला पुलिस अधीक्षक जालोर शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया को 22 सितम्बर को व्यक्तिगत उपस्थित होने के आदेश दिये। आयोग के अध्यक्ष ने आर्डर शीट में लिखा कि एसपी जालोर स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण पेश करें कि आज दिन तक गिरफतारी वारंट की तामील क्यों नही हो पाई है।

'असिस्टैंट प्रोफेसर भर्ती में प्रार्थी की कैटिगरी क्यों नहीं बदली'

जयपुर, 17 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी की ओर से आयोजित कॉलेज शिक्षा की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में प्रार्थी की केटेगरी नहीं बदलने के मामले में राज्य सरकार व आरपीएससी से जवाब देने के लिए कहा है। वहीं प्रार्थी को अस्थाई तौर पर साक्षात्कार सहित भर्ती की चयन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने ये अंतरिम आदेश गोविन्द राम माहेश्वरी की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि प्रार्थी ने भर्ती में आवेदन किया था, लेकिन ई मित्र संचालक ने गलती से प्रार्थी की ईडब्ल्यूएस केटेगरी की जगह एमबीएस केटेगरी भर दी। प्रार्थी को गलती का पता चलने पर उसने आरपीएससी के समक्ष केटेगरी में संशोधन का आग्रह किया, लेकिन आरपीएससी ने केटेगरी में संशोधन नहीं किया।

इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि पूर्व में इसी भर्ती का

- हाई कोर्ट ने आरपीएससी से जवाब मांगा और चयन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए।

विज्ञापन 2024 में भी जारी किया था और उसमें प्रार्थी ने उसकी केटेगरी ईडब्ल्यूएस ही अंकित की थी, लेकिन बाद में आरपीएससी ने इसे वापस ले लिया और 2025 में नई विज्ञप्ति जारी कर दी और उसे आवेदन करने के लिए कहा। प्रार्थी ने कहा कि आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया था और उसमें प्रार्थी की केटेगरी ईडब्ल्यूएस ही थी।

ऐसे में आयोग को जानकारी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए ही ली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार चल रहे हैं और उसने लिखित परीक्षा पास कर ली है। इसलिए उसे साक्षात्कार व चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

'दलबदल विरोधी कानून के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कई बड़े राजनीतिक दलों में हुए विभाजन ने दलबदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के एक बड़े समूह, जिसमें पार्टी के करीब 20 लोकसभा सांसद शामिल थे, ने पार्टी से अलग होकर, एक कम चर्चित नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का दावा किया और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जुड़ गया। इससे पहले, इसी साल आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद दो-तिहाई विलय के प्रावधान का हवाला देते हुए भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में विभाजन हुआ था, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार गिर गई थी। इसके बाद 2023 में अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी विभाजन हुआ।

दलबदल विरोधी कानून को 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान की दसवीं अनुसूची के रूप में शामिल किया गया था। इसके तहत, किसी सांसद या विधायक को अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने या पार्टी के निर्देश के खिलाफ मतदान करने अथवा मतदान से अनुपस्थित रहने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। पैराग्राफ 4 के तहत एक अपवाद भी है। इसके अनुसार, यदि मूल राजनीतिक पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय हो जाता है और उसके विधायक दल के कम से कम

- उन्होंने कहा कि इसी प्रावधान का उपयोग करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़कर भाजपा में विलय कराया गया और 2022 में शिव सेना (यूटीबी) को तोड़ा गया और महाराष्ट्र सरकार को भी गिराया गया।

दो-तिहाई सदस्य इस विलय के पक्ष में हों, तो उन्हें अयोग्यता से सुरक्षा मिलती है। पहले, एक-तिहाई सदस्यों द्वारा अलग होकर नया गुट बनाना, यानी ''विभाजन'' भी अपवाद में शामिल था, लेकिन 2003 में 91वें संविधान संशोधन के जरिए इसे हटा दिया गया। दलबदल से जुड़े फैसले विधानसभा अध्यक्ष या सदन के सभापति लेते हैं, हालांकि इन फैसलों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

विशेषज्ञ लंबे समय से इन कानून की कमियों की आलोचना करते रहे हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह कानून व्यक्तिगत असहमति जताने वाले नेताओं को तो सजा देता है, लेकिन संगठित रूप से बड़ी संख्या में दलबदल करने वालों को फायदा पहुंचाता है। इससे मतदाताओं के जनादेश को भी नुकसान पहुंचता है और दलबदल के मामलों पर फैसला राजनीतिक रूप से जुड़े विधानसभा अध्यक्षों या सभापतियों के हाथ में रहता है। विधि आयोग सहित, कई समितियों ने दलबदल के मामलों पर फैसला लेने की शक्ति स्वतंत्र न्यायाधिकरणों को देने और कानून का दायरा केवल उन मतदानों तक सीमित करने की सिफारिश की है, जिनका सरकार की स्थिरता पर असर पड़ता है। लेकिन, इन सुधारों पर अब तक आगे नहीं बढ़ा जा सका है। आलोचकों का कहना है कि यह व्यवस्था दल-बदल के लिए होने वाली खरीद-फरोख्त को रोकने में विफल रही है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ताकत को और बढ़ा दिया है।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरव दास ने सिब्बल के प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सीजेपी के डिमांड चार्टर के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इस चार्टर में दलबदल करने वालों को 20 साल तक चुनाव लड़ने या सार्वजनिक पद संभालने से रोकने की और भी कड़ी मांग की गई है।

चंद्रशेखर टाटा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कारण हैं, यह तत्काल स्पष्ट नहीं हुआ है। चंद्रशेखरन ने 12 अगस्त को टाटा संस के बोर्ड को बताया था कि वे 20 फरवरी 2027 को, अपना मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद, एक और कार्यकाल के लिए अपना नाम पेश नहीं करेंगे।

मोदी ऐसा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिनचर्या अलग होती है। वे नौ दिनों तक दिन में एक बार कोई फल विशेष खाते हैं। उन्होंने पपीते का उदाहरण देते हुए कहा था कि अगर पपीता चुना गया है, तो उपवास के दौरान वे केवल यही फल खाते हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि उपवास की ये परंपराएं करीब 50 से 55 वर्षों से उनके जीवन का हिस्सा रही हैं। गर्म पानी पीना भी उनकी लंबे समय से चली आ रही आदत है।

गर्म पानी उनकी दिनचर्या का एक सुनिश्चित एवं स्थायी हिस्सा है। मोदी ने बताया है कि वे नियमित रूप से गर्म पानी पीते हैं और यह आदत उनके शुरुआती वर्षों से चली आ रही है। नौ दिनों के नवरात्रि उपवास के दौरान, वे केवल गर्म पानी ही लेते हैं।

2020 में फिट इंडिया के साथ उनकी बातचीत में क्षेत्रीय व्यंजन, स्थानीय उपज एंव उत्पाद और पारंपरिक भोजन पर जोर दिया गया था। विचार यह था कि भारतीय घरों में पहले से प्रचलित सामान्य भोजन को आधुनिक और फैशनेबल डाइट से बदलने के बजाय, उसी को महत्व दिया जाए।

इस तरह उनके खान-पान की आदतों को काफी आसानी से समझा जा सकता है। इसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जियां, पोहा, उपमा, क्षेत्रीय भोजन और सहजन का पराठा शामिल हैं। इसके साथ ही, हल्दी और अन्य पारंपरिक सामग्री भी उनके भोजन का हिस्सा हैं। फिर समय-समय पर धार्मिक परंपराओं से जुड़े सख्त उपवास भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा हैं।

मणिहारों के कटले की आग 25 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देखकर करीब 7:30 बजे व्यापारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में आग की सूचना दी। इसके बाद व्यापारी, पुलिस और दमकल दल मौके पर पहुंचे। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि समय रहते सूचना मिलने और बाजार बंद होने के कारण बड़ी जनहानि टल गई।

स्थानीय दुकानदार प्रकाश के अनुसार, सेठी कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड, प्रथम और द्वितीय तल मिलाकर 150 से अधिक दुकानें हैं। दूसरी मंजिल की करीब 15-20 दुकानों में रेडीमेड कपड़े, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी और अन्य सामान रखा था। त्योहारों के सीजन को देखते हुए कई दुकानदारों ने हाल ही में नया स्टॉक मंगवाया था, जो आग में जल गया।

गार्ड विक्रम सिंह ने बताया कि छोटू भाई के मणिहारी सामान के गोदाम में आग लगी थी। उस समय वह तीन सफाईकर्मियों के साथ अंदर था। आग बढ़ने पर उन्होंने ताला तोड़ा और शटर उठाकर बाहर निकलकर जान बचाई। शटर गर्म होने के कारण विक्रम का हाथ भी झुलस गया। उसके अनुसार, दुकानों और बरामदों में बड़ी मात्रा में रखा सामान आग फैलने का प्रमुख कारण बना।

माणक चौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है। हालांकि वास्तविक कारण और नुकसान का आकलन आग पूरी तरह बुझने के बाद जांच के आधार पर स्पष्ट होगा।

जयपुर में त्रिपोलिया बाजार के मणिहारों का कटला में तीन मंजिला सेठी कॉम्प्लेक्स में गुरुवार सुबह 7 बजे भीषण आग लग गई। दूसरी मंजिल पर चूड़ियों के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 25 दुकानों को चपेट में ले लिया।

वहीं स्थानीय व्यापारी अनीस चंदवानी ने आरोप लगाया कि कॉम्प्लेक्स की ऊपरी मंजिल पर रेस्टोरेंट और होटल का निर्माण कराया जा रहा था तथा सुबह वेल्डिंग का काम होता था। व्यापारियों ने पहले भी इसका विरोध करने और नगर निगम में शिकायत करने की बात कही। कुछ व्यापारियों ने वेल्डिंग से निकली चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई, लेकिन पुलिस की प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण माना गया है। व्यापारियों ने दूसरी मंजिल पर रेस्टोरेंट संचालित होने और पूर्व में मकर संक्रांति के दौरान छत पर आग लगने की घटना का भी हवाला दिया।

आग के बाद कॉम्प्लेक्स के फायर सेफ्टी सिस्टम और फायर एनओसी को लेकर सवाल उठे। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि भवन में फायर फाइटिंग सिस्टम लगा है, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि वह प्रभावी साबित नहीं हुआ। थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि भवन या दुकानों के पास फायर एनओसी थी या नहीं, इसकी जांच की जाएगी।

व्यापारियों के अनुसार, पुरोहितजी के कटला में 535 से अधिक दुकानें हैं और रोजाना हजारों व्यापारी, ग्राहक व विदेशी पर्यटक आते हैं। यहां करीब 14 फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि इनका अब तक उपयोग नहीं हुआ। जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करीब 3.90 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम और पंप हाउस बनाया गया था। इसका उद्देश्य बाजारों में लगे हाइड्रेंट के जरिए तत्काल पानी उपलब्ध कराना था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908